संख्या– 1483 /III(1)/17–04((12),रि0या0)/17

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 29 सितम्बर, 2017

विषय– रिट याचिका संख्या–375/एस0एस0/2017 रणधीर सिंह,रिट याचिका सं0–376/एस0एस0/2017 रामकुमार,377/एस0एस0/2017 अमरनाथ सिंह, 378/एस0एस0/2017 रणबीर सिंह, रिट याचिका सं0–557/एस0एस0/2017 प्रीतम सिंह व अन्य बनाम राज्य तथा रिट याचिका सं0–1110/एस0एस0/2014 हरस्वरूप बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2016 एवं दिनांक 07.04.2017 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र स0–720/III(1)/17–59(रि0या0)/2014 दिनांक 16 जून,2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रिट याचिका सं0–1110/एस0एस0/2014 हरस्वरूप बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2016 के अनुपालन में रिट याचिका में उल्लिखित वादी सं0–1 श्री हरस्वरूप एवं वादी सं0–07 श्री समय सिंह की विभागीय नियमित सेवा 10 वर्ष से कम होने के दृष्टिगत स्थापित वित्तीय नियमों के अनुसार नियमित सेवा की अवधि पूर्ण न होने के दृष्टिगत पेन्शन लाभ दिया जाना संभव नहीं है,के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अन्य वादीगणों के सम्बन्ध में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया कि यदि कोई कर्मचारी शासनादेश दिनांकित 25.10.2005 जो दिनांक 01.10.2005 से लागू है, के बाद भी विनियमित हुआ है,परन्तु उसकी सेवा दिनांक 01.10.2005 के पूर्व से ही प्रारम्भ है तो उसे पुरानी पेन्शन योजना का लाभ दिया जायेगा । अधिसूचना दिनांकित 25 अक्टूबर,2005 में भी यह उल्लेख है कि यह योजना केवल सेवा में आने वाले (New Entrants) कर्मचारियों के लिए है।

अतः इस सम्बन्ध में आपके पत्र सं0–1197/1838 वि0प्र0/16 दिनांक 24.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारी जो दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विभाग में कार्यरत है, तथा उक्त तिथि के उपरान्त विभाग में नियमित अधिष्ठान में नियुक्त किये गये है यदि उनके द्वारा विभाग में नियमित रूप से 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई है तो उन्हे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2016 तथा रिट याचिका सं0–375,376,377,378 तथा 557/एस0/एस0/2017 में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2017 के अनुपालन में पुरानी पेन्शन योजना का लाभ उक्त निर्णयों के आलोक में देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"विधि प्रकोष्ठ वर्ग"
लोक निर्माण विभाग, देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN,UTTARAKHAND
Phone & Fax:– 0135–2531742, 2530431 **E-Mail-eicpwduk@nic.in**
Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं0– 1631 /2185 वि0प्र0/17 दिनांक 28/10/2017

सेवा में,

1. समस्त मुख्य अभियन्ता,
   लोक निर्माण विभाग,
   .... ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
   लोक निर्माण विभाग,
   .... ।

विषयः– **रिट याचिका सं0–375/एस0एस0/2017 रणधीर सिंह, 376/एस0एस0/2017 रामकुमार, 377/एस0एस0/2017 अमरनाथ सिंह, 378/एस0एस0/2017 रणबीर सिंह, 557/एस0एस0/2017 प्रीतम सिंह व अन्य बनाम राज्य तथा रिट याचिका सं0–1110/एस0एस0/2014 हरस्वरूप बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2016 एवं दिनांक 07.04.2017 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **शासकीय पत्रांक–1483/III(1)/17–04(12)रि0या0/17, दिनांक 28.09.2017 एवं उस पर इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक–354/2185वि0प्र0/17, दिनांक 10.10.2017.**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पृष्ठांकन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में उक्त शासकीय पत्र दिनांक 28.09.2017 पर इस कार्यालय के पृष्ठांकन पत्रांक 354/2185वि0प्र0/17, दिनांक 10.10.2017 द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं को सूचनार्थ एवं शासकीय पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में आपको पुनः सूचित किया जा रहा है कि उक्त शासकीय पत्र दिनांक 28.09.2017 का आशय केवल विषयक रिट याचिका में सम्मिलित याचीगणों से है न की समस्त वर्कचार्ज कर्मचारियों से।

अतः इस कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या–354/ 2185वि0प्र0/17, दिनांक 10.10.2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)

1–प्रतिलिपिः– अपर सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2–प्रतिलिपिः– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ... वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ...को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)